राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-16

4, संस्थानिक क्षेत्र,
झालाना डूंगरी, जयपुर-302017

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन (2015–2016)

परिचय

औद्योगीकरण के सतत् विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति–निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी हैः–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977.
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
5. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव तथा 09 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :–

1	श्रीमती अपर्णा अरोरा	अध्यक्ष
2	श्री डी.एन.पाण्डेय दिः 01.04.2015 से 17.04.2015 तक श्री के.सी.ए.अरूण प्रसाद दिः 18.04.2015 से लगातार	सदस्य–सचिव
3	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य (सरकारी)

4	संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक, पर्यावरण विभाग	सदस्य (सरकारी)
5	आयुक्त, परिवहन विभाग	सदस्य (सरकारी)
6	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य (सरकारी)
7	विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय–3) विभाग	सदस्य (सरकारी)
8	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य (बोर्ड या निगम)
9	प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम	सदस्य (बोर्ड या निगम)
10	श्री आर. जी. सोनी, पी.सी.सी.एफ. (रिटायर्ड)*	सदस्य (गैर सरकारी)
11	श्री नरेन्द्र छाजेड़ **	सदस्य (गैर सरकारी)

नोटः– * क्र.सं. 10 को अधिसूचना दिनांक 30.07.2012 द्वारा तीन वर्ष के लिये राज्य मण्डल का सदस्य मनोनीत किया गया था। तीन वर्ष की अवधि दिनांक 29.07.2015 को समाप्त हो चुकी है। **क्र.सं. 11 को अधिसूचना दिनांक 19.07.2012 द्वारा तीन वर्ष के लिये राज्य मण्डल का सदस्य मनोनीत किया गया था। तीन वर्ष की अवधि दिनांक 18.07.2015 को समाप्त हो चुकी है।

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 15 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। आठ नवीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित करने का काम प्रगति पर है। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 387 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 262 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गो में विभाजित हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान मण्डल की एक बैठक दिनांक 07.10.2015 को आयोजित की गईं।

मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन/उपचार/निस्तारण हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चकण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियमों में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन

1. वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)

अधिनियम, 1981 के अर्न्तगत स्थापना एवं संचालन के कुल 12336 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

2. वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अर्न्तगत स्थापना एवं संचालन के कुल 9787 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
3. वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के अर्न्तगत कुल 1331 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
4. वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धनं नियम, 2016 के अर्न्तगत कुल 2317 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
5. वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 एवं ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2016 के अर्न्तगत कुल 4 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में आलोच्य वर्ष तक परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 1090 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित उद्योगों में से 160 उद्योग वर्तमान में बंद है अथवा परिसंकटमय अपशिष्ट जनित नहीं कर रहे हैं, 31 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा अति अल्प है एवं 113 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट मात्र उनके डी. जी. सेट/ कम्प्रेशर से निकलने वाले spent/ used oil के रूप में है तथा 67 दवा/कीटनाशक बनाने वाली इकाईयों द्वारा उनके निर्माण के दौरान जनित अनुपयोगी उत्पाद एवं समय सीमा पार वाले उत्पाद से न्यूनतम मात्रा में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित होता है। शेष 719 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा अधिक होने से उन्हें परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है।

इन 719 उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 873601 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस अपशिष्ट की अधिकांश मात्रा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं सामूहिक उच्छिष्ट उपचार संयन्त्रों से जनित होती है एवं जिनकी अनुमानित मात्रा क्रमशः लगभग 597582 एवं 48595 मैट्रिक टन प्रति वर्ष (कुल 646177 मैट्रिक टन प्रति वर्ष) है, जबकि राज्य के अन्य उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 227424 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैः–

1. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
2. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
3. अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में मैसर्स कान्टीनेन्टल पेट्रोलियम प्रा० लि० में स्थित भस्मक (incinerator) को सामूहिक भस्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2015–2016 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धनं नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बैड के 13 अस्पतालों, 200 से 499 बैड के 54 अस्पतालों, 50 से 199 बैड के 378 अस्पतालों, 49 बैड तक के 3576 अस्पतालों एवं 1363 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र आदि चिन्हित हैं। इनसे अनुमानतः 19480.13 किलोग्राम प्रतिदिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 11 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है तथापि दो सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा मै राजपूताना बायोटेक प्रा. लि., ग्राम–खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर एवं हॉसविन राजपुताना इन्सीनरेटर, ग्राम–थिनला, सवाईमाधोपुर वर्तमान मे बन्द है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर/ जिले
1	इन्सट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम–खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर (सिटी)
2**	राजपूताना बायोटेक प्रा. लि., ग्राम – खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर ग्रामीण एवं दौसा

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर/ जिले
3	एनविजन एनवायरो इंजिनियर्स प्रा. लि., ग्राम–उमरदा, उदयपुर।	जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर
4	सेल्स प्रमोटर, ग्राम–केरू, जैसलमेर रोड, जोधपुर।	जिला जोधपुर एवं पाली
5	सेल्स प्रमोटर, ग्राम–सांदरिया, अजमेर	जिला अजमेर, भीलवाडा एवं नागौर (आंशिक)
6	इटेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर	जिला बीकानेर, नागौर (आंशिक) एवं चुरू
7	इटेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर
8	हॉसविन इन्सीनरेटर, जैलवैल के सामने, खसरा नं. 645/256, रून्डी धूनी नाथ, अलवर।	जिला अलवर एवं भरतपुर
9**	हॉसविन राजपुताना इन्सीनरेटर, ग्राम–थिनला, सवाईमाधोपुर।	जिला सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली
10	हॉसविन इन्सीनरेटर, ग्राम–धानवारा, झालावाड़	जिला झालावाड एवं बाराँ
11	राजदीप बायोटेक, ग्राम–बोरावास, कोटा	जिला कोटा एवं बून्दी

**** वर्तमान मे बन्द है।**

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (CETP)

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं साँगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूह से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2015–2016 तक चौदह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन चौदह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से पांच संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए, तीन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बाड़मेर) एवं दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जसोल (जिला बाड़मेर) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बिठुजा (जिला बाड़मेर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर–माचेड़ी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है। भिवाडी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट

उपचार संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार सयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

क्र सं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान	स्थापना/ प्रारम्भ वर्ष	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता	उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई
1	प्रथम संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –1) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1983	05.20 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
2	द्वितीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –2) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1997	08.40 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
3	तृतीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –3) पुनायता रोड, जिला पाली	1999	09.08 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
4.	चतुर्थ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2009	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
5	षष्ठ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –6) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2015	12 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
6	प्रथम संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –1) बालोतरा, जिला बाडमेर	2000	06.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
7	द्वितीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –2) बालोतरा, जिला बाडमेर	2006	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
8	तृतीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –3) बालोतरा, जिला बाडमेर	2015	18 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
9	जसोल, जिला बाडमेर	2004	02.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
10	जसोल, जिला बाडमेर	2013	4.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
11	बिठुजा, जिला बाडमेर	2006	30.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

क्र सं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान	स्थापना/ प्रारम्भ वर्ष	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता	उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई
12	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	2004	20.00 एम.एल.डी.	वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योग
13	रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	2004	06.00 एम.एल.डी.	जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल–जल
14	रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर	2002	00.60 एम.एल.डी.	चर्मशोधन उद्योग

सीवेज उपचार संयंत्र (STP)

राज्य में वर्ष 2015–2016 तक कार्यरत मल–जल उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

राज्य के कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्र

क्र.सं.	स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)
1	आमेर रोड़, जिला–जयपुर	27
2	डेलावास–I, जिला–जयपुर	62.5
3	डेलावास–II, जिला–जयपुर	62.5
4	जयसिंहपुरा खोर, जिला–जयपुर	50
5	जवाहर सर्किल, जिला–जयपुर	1
6	रामनिवास गार्डन जिला–जयपुर	1
7	अग्यारा रामगढ़, जिला–अलवर	20
8	भिवाड़ी जिला–अलवर	4
9	नान्दड़ी, जिला–जोधपुर	20
10	सालावास (फेज–I), जिला–जोधपुर	50
11	सवाईमाधोपुर, जिला–सवाईमाधोपुर	10
12	वल्लभ गार्डन, जिला–बीकानेर	20
13	भीलवाड़ा सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट–I, जिला– भीलवाड़ा	5.5
14	गजोधर पुरा, जिला–जयपुर	30
15	एकलिंगपुरा, उदयपुर, जिला–उदयपुर	20
16	स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जिला–जयपुर	1

क्र.सं.	स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)
17	भीलवाडा एसटीपी– II, जिंदल शॉ	4
18	ईएसआई हॉस्पिटल, मंडिया रोड, पाली	7.5
19	धाकडखेड़ी, कोटा	20
20	साजीधेड़ा	30

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2015–2016 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार है:–

नमूनों के प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
जल / उच्छिष्ट	3343
उत्सर्जित वायु / गैस	413
परिवेशी वायु	43404
ध्वनि स्तर	396
योग	**47556**

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

वर्ष 2015–2016 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यावरण / जल / वायु के प्रदूषण से संबंधित कुल 598 शिकायतें प्राप्त हुई एवं 596 शिकायतों का निराकरण किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 435 आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 65 अपीलें दायर की गईं। इन सभी का निस्तारण किया गया।

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में कुल 79 विभिन्न औद्योगिक, आधारभूत तथा खनन परियोजनाओं के प्रकरणों की जन सुनवाई आयोजित की गई एवं प्रकरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

विधिक कार्यवाही

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्व वर्ष 2015–16 में कुल 22 विधिक अभियोजन दायर किये गये।
- वर्ष 2015–16 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 586 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 317 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 171 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 98 इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किये गये।

विविध गतिविधियाँ

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जांच परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 7 प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 24 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए अलवर, कोटा एवं उदयपुर में 3–3 स्थानों पर, जोधपुर एवं जयपुर में 6–6 स्थानों पर, भरतपुर में 1 एवं भिवाड़ी में दो स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।

मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय जल गुणवत्ता जांच परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 21 जिलों के 128 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्त्रोतों

का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में नदियों एवं झीलों के जल (सतही जल) के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक एवं कुओं की छःमाही है। 128 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 42 केन्द्र नदियों एवं झीलों पर तथा 86 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुए, हैण्ड़पम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

राज्य में निवेश का वातावरण बनाने एवं उद्योगों के कार्य करने के सरलीकरण के लिए राज्य मण्डल द्वारा अनेक कदम उठाय गये उनमें से प्रमुख हैः–

1. राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का सरलीकरण तथा सम्मति वैधता अवधि में विस्तार किया गया। इसके अन्तर्गत सम्मति वैधता अवधि में विस्तार करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों को 3 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष के लिये किया गया।

2. एक हैक्टर तक के क्वारी लाईसेंस के आवेदन पत्र के जमा कराने की रसीद को राज्य मण्डल द्वारा सम्मति माना जायेगा।

3. एक हैक्टर तक के क्वारी लाईसेंस एवं सभी हरी श्रेणी (ग्रीन कैटेगिरी) में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है के सम्मति आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2015 से ऑन लाईन जमा कराये जाने की सुविधा एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई के पंजीकृत ई–मेल आई डी पर मेल द्वारा प्रेषित करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका प्रिंट आउट कहीं से भी लिया जा सकता है। ऑन लाईन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

4. अलवर जिले एवं जयपुर जिले में बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण तथा उद्यमियों की सुविधा और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दो नए क्षेत्रीय कार्यालय भिवाडी–जिला अलवर एवं जयपुर में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को स्थापित कर दिये गये हैं। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़कर 15 हो गई।

राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

आय (लाख रूपये में)		व्यय (लाख रूपये में)	
विवरण	**राशि**	**विवरण**	**राशि**
के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	54.15	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	1882.54
जल उपकर पुनर्भरण	812.89	कार्यालय व्यय	426.23
सम्मति शुल्क	7575.78	प्रयोगशाला व्यय	8.64
पी.डी.खाते से ब्याज	52.41	विज्ञापन एवं प्रकाशन	29.45
बैंक / एफ.डी.आर. पर ब्याज	3110.89	अनुसंधान एवं विकास	29.17
अन्य ब्याज	2.34	पूंजीगत व्यय	82.20
विविध आय	371.55	के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय	35.56
नमूना विश्लेषण	13.27		
बी.एम.डब्ल्यू.	39.51		
योग	**12032.79**	**योग**	**2493.79**

जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2015–2016 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्र सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्र सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

उपकर राशि का विवरण	राशि (रूपये में)
जल उपकर निर्धारण की राशि	136554674.00
जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि	92959306.00
केन्द्र सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि	103317530.00
केन्द्र सरकार से जल उपकर पुनर्भरण की राशि	81288807.00

rspcb

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर